संख्या-2531/81-2-2024-800(260)/2024

प्रेषक,

देवेन्द्र सिह चौहान
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

विषय- जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar by pass of NH-119 connectiong Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the State of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौडीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात कुल 5.27 है0 सरंक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव ख्या-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1595/11- ी-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022 दिनांक 18.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का करें।

2- अवगत कराना है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.12.2024 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) नियम/2022/वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 लागू होंगे। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के प्रस्तर-16 में निम्न प्राविधान किया गया है-

(16) The proposal involving forest land of more than five hectares, shall be forwarded by the Nodal Officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project Screening Committee's recommendation and the same shall also be forwarded to the Regional Office.

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के प्रस्तर-16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही/अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या संगत अभिलेखों हित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जि से परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Signed by
Devendra Singh Chauhan
Date: 19-12-2024 18:07:21
(देवेन्द्र िह चौहान)
अनु चिव।